कासिम रज़ा द्वारा कोलाज, फोटो विकिपीडिया एवं उक्रएक्सचेंज फोटो इमेजेज़

अमेरिकी विद्यार्थी वीज़ा

के बारे में जानकारी

किसी अमेरिकी शैक्षणिक संस्थान में छात्र के रूप में स्वीकार किए जाते ही आपको कुछ काम शुरू कर देने चाहिए ताकि आपको समय पर वीज़ा मिल जाए। पहले से योजना बनाकर रखना बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए अपनी यात्रा से कई महीने पहले से प्रक्रिया की शुरूआत करें।

प्रक्रिया के चरण

किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में स्वीकार कर लिए जाने के बाद वीज़ा के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके संस्थान ने आपको वे समुचित दस्तावेज भेज दिए हों जो स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विज़िटर इनफ़ॉर्मेशन सिस्टम (सेविस) में आपका नाम दर्ज करना सम्भव बनाते हैं। सेविस एक वेब-आधारित सूचना प्रणाली है जो विदेशी छात्रों और एक्सचेंज प्रोग्राम के अन्य भागीदारों का लेखाजोखा रखती है और अमेरिका की यात्रा और वहां प्रवास के दौरान छात्र और भागीदार जिन विभिन्न संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के सम्पर्क में आएंगे, उनके बारे में सूचना प्राप्त करना सरल बनाती हैं।

सेविस की फीस पहले ही चुका दें, प्रमाण संभालकर रखें और वीज़ा इंटरव्यू के समय इसे प्रस्तुत करें।

सेविस पर दर्ज हो पाने के लिए आपको फीस चुकानी होगी, फीस चुकाने का प्रमाण संभालकर रखें ताकि अमेरिकी दूतावास या अपने पास के कांसुलेट में वीज़ा इंटरव्यू के समय आप इसे प्रस्तुत कर पाएं। फीस आपके अध्ययन या एक्सचेंज कार्यक्रम और आप जिस किस्म के वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके अनुसार होगी। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखें: http://newdelhi.usembassy.gov/visasevis.html

वीज़ा इंटरव्यू के लिए अमेरिकी दूतावास या अपने पास के कांसुलेट से सम्पर्क कर के समय लें। इस सम्बन्ध में सूचना के लिए देखें: http://newdelhi.usembassy.gov/applyingfjm.html

वीज़ा तैयार करने की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन सभी स्टूडेंट और एक्सचेंज विज़िटर वीज़ा आवेदकों को प्राथमिकता मिलती है।

वीज़ा आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की जानकारी देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स -इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन कार्यशालाओं का आयोजन करती है। अपने नजदीक हो रही कार्यशाला के बारे में जानकारी के लिए देखें : www.usief.org.in/

इंटरव्यू के लिए और आप के आवेदन की जांच की प्रतीक्षा अवधि के बारे में सूचना के लिए देखें:

http://www.travel.state.gov/visa/temp/wait/tempvisitors_wait.php

अपने इंटरव्यू के लिए जाते हुए तमाम जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना न भूलें। जरूरी दस्तावेज हैं:

- सेविस की फीस चुकाने की रसीद
- आपके संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया गया वीज़ा-क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट
- वित्तीय सहायता के प्रमाण दस्तावेज
- वीज़ा आवेदन प्रॉसेसिंग फीस
- सही ढंग से भरा गया वीज़ा आवेदन फॉर्म

इस सूचना की जांच http://newdelhi.usembassy.gov/required_documents.html पर की जा सकती है।

आप को यह भी मालूम रहना चाहिए कि केवल वीज़ा बन जाने से ही आपका अमेरिका में प्रवेश कर पाना निश्चित नहीं हो जाता। वीज़ा केवल किसी विदेशी नागरिक को अमेरिकी प्रवेश बिन्दु तक यात्रा करने की अनुमति है। वहां पहुंचने के बाद एक यू.एस. कस्टमस एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन इन्सपेक्टर तय करता है कि आगंतुक को देश में प्रवेश दिया जाए या नहीं।

वीज़ा प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल लग सकती है लेकिन यह न भूलें कि 2008 में 66 लाख लोगों ने इसी प्रक्रिया से अमेरिका के नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा प्राप्त किए।

कुछ वास्तविकताएं

वीज़ा प्राप्त करने की कठिनाइयों के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं। इनमें से कुछ हैं :

गलतफहमी 1: अमेरिका में प्रवेश करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या सीमित रखने के लिए वीज़ा का कोटा रखा जाता है।

असलियत: संसारभर में अमेरिकी दूतावासों और कांसुलेटों द्वारा जारी किए जानेवाले विद्यार्थी वीज़ाओं की संख्या की कोई सीमा नहीं है। अगर आप एक ऐसे योग्यता सम्पन्न विद्यार्थी वीज़ा आवेदक हैं जिसे किसी अमेरिकी शिक्षा संस्थान में दाखिला मिल गया है तो विदेश विभाग चाहता है कि आप इस अवसर का लाभ प्राप्त कर सके।

गलतफहमी 2: किसी एजुकेशन एजेंट की सहायता लेने से वीज़ा मिलने की सम्भावना बढ़ जाती है।

असलियत: अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि वह आपको वीज़ा दिलवाने में सहायता करेगा तो उसकी बातों में न आएं- उसे पैसा न दें, न ही उसके साथ किसी तरह का समझौता करें। इन तथाकथित वीज़ा दिलवाने वालों की अमेरिकी सरकार तक पहुंच नहीं होती।

अगर आप वीज़ा वेबसाइटों पर उपलब्ध सूचना को ध्यान से पढ़ें और निर्देशों का पालन करते हुए समय पर सब औपचारिकताएं पूरी कर लें तो आपको दिक्कत नहीं होगी।

गलतफहमी 3: वीज़ा आवेदक को अपनी आय का स्तर कम से कम दिखाना चाहिए।

असलियत: विद्यार्थी वीज़ा आवेदक को इस बात के प्रमाण प्रस्तुत कर पाने चाहिए कि आप, आपके मातापिता, या आपके स्पॉन्सर अध्ययन के दौरान आपकी पढ़ाई और निवास के खर्चे उठाने में समर्थ हैं।

गलतफहमी 4: पढ़ाई-लिखाई में अव्वल रहने वालों को ही वीज़ा मिल पाते हैं।

असलियत: वीज़ा सबसे अच्छे छात्रों को ही मिलें यह ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है अमेरिका में किसी अमेरिकी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश की स्वीकृति पाना।

जब आपको किसी संस्थान में दाखिला मिल जाएगा या किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में स्वीकार कर लिया जाएगा तो सम्बद्ध संस्थान आप को सेविस के लिए आवश्यक फॉर्म उपलब्ध करवा देगा। यह फ़ॉर्म आपको वीज़ा के लिए आवेदन करते हुए दाखिल करना होगा। आपको इंटरव्यू ले रहे कांसुलर ऑफ़िसर को यह समझाना होगा कि आप एक गम्भीर छात्र हैं जिसे अपने भावी संस्थान के बारे में ठीकठाक जानकारी है। आपको यह भी सिद्ध कर देना होगा कि आपने अपने अध्ययन के बारे में ठीक से योजना बनाई है और अपने अध्ययन के विषय में आप की जानकारी पर्याप्त है।

पहले से योजना बनाकर रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी यात्रा से कई महीने पहले से प्रक्रिया की शुरुआत करें।

गलतफहमी 5: वीज़ा इंटरव्यू के दौरान कॉन्सुलर ऑफ़िसर ''सही'' उत्तर सुनना चाहता है।

असलियत: कॉन्सुलर ऑफ़िसर आपके अपने जवाब और आपकी निजी परिस्थितियों के बारे में सच्चा विवरण सुनना चाहेगा।

गलतफहमी 6: आपको वीज़ा तभी मिलेगा जब आप अंग्रेजी में पारंगत हों।

असलियत: अगर आप अमेरिका में अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं तो आपका उस में दक्ष होना ज़रूरी नहीं है। वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे छात्र का अंग्रेजी पर अधिकार उसकी कुल कुशलता को मापने में एक घटक मात्र है। लेकिन जे-1 एक्सचेंज विज़िटर वीज़ा आवेदकों के लिए अंग्रेजी में पर्याप्त दक्षता आवश्यक है।

गलतफहमी 7: आप को वीज़ा तभी मिल सकता है जब आपके रिश्तेदार अमेरिका में रहते हों।

असलियत: यह सच नहीं है। वीज़ा इंटरव्यू के दौरान कॉन्सुलर ऑफ़िसर अमेरिका में रह रहे रिश्तेदारों के बारे में वैसे ही पूछते हैं जैसे वे भारत में आप के परिवार की स्थिति के बारे में पूछते हैं।

गलतफहमी 8: विद्यार्थी वीज़ा पर अमेरिका गए अन्तरराष्ट्रीय छात्रों को वहां काम करने की अनुमति नहीं दी जाती।

असलियत: काम के कुछ अवसर सम्भव हैं, खासतौर पर ऑन-कैंपस वर्क-स्टडी प्रोग्रामों के अन्तर्गत सीमित समय तक सवेतन काम के अवसर।

गलतफहमी 9: वीज़ा पाने के लिए जरूरी है कि आपने अपने भविष्य की पूरी योजना बना ली है।

असलियत: आपका एक यर्थाथवादी अध्ययन योजना पर चर्चा कर पाना काफी है, पूरे कॅरियर की योजना प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होती।

गलतफहमी 10: डिग्री पूरी होते ही आपको अपने देश लौटना होगा।

असलियत: आप व्यावहारिक अनुभव पाने के लिए, अपने अध्ययन क्षेत्र में एक बरस तक काम करने के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।

छात्रों और एक्सचेंज विज़िटर्स के लिए वीज़ा के प्रकार

एफ़-1 या विद्यार्थी वीज़ा: उनके लिए है जो एक्रेडिटेड अमेरिकी कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, या किसी विश्वविद्यालय या भाषा संस्थान में अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं।

जे-1 या एक्सचेंज विज़िटर वीज़ा: शैक्षणिक या सांस्कृतिक एक्सचेंज में भाग लेने वालों के लिए जारी किया जाता है।

एम-1 या विद्यार्थी वीज़ा: गैरशैक्षणिक या व्यावसायिक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वालों के लिए है।

ब्यूरो ऑफ़ इंटरनेशनल इनफॉर्मेशन प्रोग्राम्स, अमेरिकी विदेश विभाग से।